


स्टाम्प वकालत नामा	स्टाम्प अर्जी	सहनशीलता वकालत	खर्चा वाहन	फॉक्स कम्प्लेक्स	बाबत डेजल	मुक्तकालिक	सिमान
कथया	पूसे						

(Signature)
 (Date)
 (Address)



फॉक्स सदी सालाना आज की तारीख 06 माह 11 सन 2019
 को अदा करे।

यह मुकदमा आज वास्ते इन किसाल कतई कबक मरे
 व हालिअ श्री राजन्दासिंह सोलंकी सिनजानिब मुदई व प्रतिवादी प्र्येकार सरकार सिनजानिब
 किया जाता है कि याम भीवली का गाव पटवार 4/49 रकबा 14.18 बीघा भूमि में वादिनी को गैर खातेदार से
 40.00 बीघा व खसरा नंबर 4/33 रकबा
 खातेदार काहेतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादिनी का नाम बकाया
 राजस्व मांग (घटे हो तो) जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का पालना करे। नीचे
 मुगलिक मुकदमें मय मुद व बाहर
 खर्चा इस मुकदमें मय मुद व बाहर

मुकदमा संख्या:- 64/2019

दावा बाबत 88 आर.टी.एक्ट

1. रहमत खान पति नरदीन
 पि. अकबरखा जाति सिन्धी
 मुखलमान निवासी भीवली का गाव
 तहसील बाप लिला जाधपुर।
 प्रतिवादी
 बनाव
 अल अदालत सहायक कलक्टर कोट बाप
 (आदेश 21 नियम 6, 7 जाबा दीवानी)
 बड़जालस पीठसोन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)
 वादिनी
 बड़जालस पीठसोन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)
 प्रतिवादी

गारिनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी प्रोकर जवाब प्रस्तुत किया जा शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी प्रोकर सरकार ने जवाब में बताया कि गारिनी के नाम खरीदसूदा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू-राजस्व बकाया नहीं होने से गारिनी को गैरखारतदार से खारतदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि गारिनी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। बकील गारिनी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं इसलिए गारिनी की साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली अन्तिम बहस में रची गई।

बकील गारिनी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भीवली का गांव पटवार मण्डल घटौर तहसील बाप के खसरा नंबर 4/33 रकबा 40.00 बीघा व खसरा नंबर 4/49 रकबा 14.18 बीघा भूमि वादी को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद की थी। लेकिन पटवारी इल्का ने नामान्तरकरण संख्या 446, 480 भीजा भीवली का गांव अर्द्ध समय सरासर गालत तरीके से उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में गारिनी को गैरखारतदार दर्ज कर दिया। जबकि पूर्व खारतदार विकेला के नाम गारिनी की प्रतियां पेश की जा निम्न है। निर्णय दिनांक 20.06.2014 अनवान नबीयत बनम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 10.08.2016 अनवान धनी बनम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 14.02.2018 अनवान जमुखा बनम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 28.12.2018 अनवान खुशालसिंह बनम तहसीलदार बाप, निर्णय दिनांक 08.01.2019 अनवान नूर खारू

प्रतिवादी सरकार प्रोकर ने अपनी बहस में बताया कि गारिनी को नियमानुसार खारतदार से खारतदार काइतकर धारित किया जाना उचित है।

वर्कलाय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दर्शावेजात, तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि गारिनी संख्या 446, 480 भीजा भीवली का गांव व चारू जमाबंदी संवत 2071-2074 वरकण संख्या 4/33 रकबा 40.00 बीघा व खसरा नंबर 4/49 रकबा

श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः
(महेश्वर सिंह)



06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आदेश
वाट वादिनी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम श्रीवती का गांव पटवार क्षेत्र पटवार के
सरा नंबर 4/33 रकबा 40.00 बीघा व खसरा नंबर 4/49 रकबा 14.18 बीघा भूमि में
वादिनी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप
श्री के नाम बकाया राजस्व माग (यदि हो तो) जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का
निरकरण खोल कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरमद कर आदेश की पालना करे। डिफेंडें
अलग से जारी हो। पञ्जाबी फौजल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफतर

14.18 बीघा भूमि का विषय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 446, 480 मौजा
श्रीवती का गांव सरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण में वादिनी को गैर खातेदार
के रूप में दर्ज कर दिया गया। जो वर्तमान में भी वादिनी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज
है। जिस समय उक्त भूमि खरीद की उस समय उक्त भूमि पूर्व खातेदारी के
नाम खातेदारी में दर्ज थी जो विक्रय पत्र से प्रमाणित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादिनी
का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी-राजस्व बकाया नहीं है।
इसी अनुसार वादिनी को गैरखातेदार से खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।
वादिनी का वाट स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

